(118)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7017–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–12–2016 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला भोपाल प्रकरण कमांक 387/ब–103/33/2015–16.

1–मोहम्मद तौफिक पुत्र स्व0श्री अब्दुल नूर
2–मोहम्मद मुबीन पुत्र स्व0श्री अब्दुल नूर
3–कुमारी शहनाज परवीन पुत्री स्व0श्री अब्दुल नूर
निवासीगण मकान नं.9 पीर साहब की मस्जिद के पास पीरगेट, भोपाल
4–श्रीमती शाहजहॉ पुत्री स्व0श्री अब्दुल नूर पत्नी श्री सईद, निवासी ग्राम दोराहा जिला सीहोर
5–श्रीमती फिरोज जहॉ पुत्री श्री अब्दुल नूर पत्नी श्री मोहम्मद इश्हाक निवासी मकान नं.9 पीर साहब की मस्जिद के पास पीरगेट, भोपाल
6–श्रीमती अफरोज जहॉ पुत्री स्व0श्री अब्दुल नूर पत्नी मोहम्मद दुलारे निवासी जे0पी0नगर डी0आई0जी0 बंगले के पास भोपाल

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन
द्वारा उप पंजीयक जिला भोपाल

.....अनावेदक

श्री संजीव जायसवाल, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/5/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सप्तम अपर जिला न्यायाधीश भोपाल द्वारा विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 30–6–1997 एवं कब्जा नामा दिनांक 17–7–1997 विधिवत् इम्पाउण्ड कर पर्याप्त स्टापित करने हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को भेजा गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 387/ब–103/33/2015–16 दर्ज कर दिनांक 14–12–16 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य 2,50,00,000/– निर्धारित कर कमी मुद्रांक शुल्क 1,87,450/– एवं कमी मुद्रांक शुल्क की 2 गुना शास्ति राशि 3,74,900/– इस प्रकार कुल राशि 5,62,350/– जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधिवत् कार्यवाही नहीं की गई है, न तो स्थल निरीक्षण किया गया है और न ही उपपंजीयक से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा मनमाने तौर से प्रश्नाधीन संपत्ति का अत्यधिक बाजार मूल्य निर्धारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा इस स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1997 में क्रय की है, अतः वर्ष 1997 में प्रचलित गाईड लाईन के अनुसार बाजार मूल्य निर्धारित होगा । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक स्वयं द्वारा विक्रय अनुबंध पत्र पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया था इसलिये उस पर दो गुना शास्ति अधिरोपित करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि केता का स्वर्गवास हो चुका है अतः मृत व्यक्ति के नाम राशि जमा करने के आदेश देने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सप्तम अपर जिला न्यायाधीश भोपाल द्वारा निष्पादित विक्रय अनुबंध पत्र को पर्याप्त स्टाम्पित नहीं पाते हुये मुद्रांक शुल्क निर्धारण हेतु दस्तावेज कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को भेजा गया है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जाकर रुपये 1,87,500/– मुद्रांक शुल्क

निर्धारित किया गया है । चूँकि आवेदकगण द्वारा 50/– रुपये के मुद्रांक पत्र पर विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित कराया था, अतः कमी मुद्रांक शुल्क रुपये 1,87,450/– जमा कराने के आदेश दिये गये हैं । चूँकि आवेदकगण द्वारा मुद्रांक शुल्क का अपवंचन किया गया है, अतः कमी मुद्रांक शुल्क का दोगुना रुपये 3,74,900/– शास्ति अधिरोपित करने में भी पूर्णतः वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की गई है, इसलिये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर